



Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana
No. 181-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018
(3 कार्तिक, 1940 शक)

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या का०आ० 69/ह०अ०11/1994/घा० 55/2018, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 - ग्राम पंचायत कुचराना खुर्द तथा कुचराना कलां को खण्ड अलेवा, जिला जीन्द से निकाल कर खण्ड उचाना, जिला जीन्द में शामिल करने बारे।	695-696
2.	अधिसूचना संख्या का०आ० 70/के०अ० 5/1938/घा० 9/2018, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 - गांव दमदमा (पिंजौर), जिला पंचकूला में प्रथम अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए नियत काल पर 100 मीटर बेफल फायरिंग रेंज के फायरिंग अभ्यास करने बारे।	697-698
3.	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 58/सवि०/अनु० 309/2018, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 - हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	699-700
भाग IV	शुद्धि-पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग - III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अक्टूबर, 2018

संख्या कांआ० 69/ह०अ० 11/1994/घा० 55/2018.- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का 11), की धारा 55 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा ग्राम पंचायत कुचराना खुर्द तथा कुचराना कलां को खण्ड अलेया, जिला जीन्द से निकालते हैं तथा उसे खण्ड उचाना, जिला जीन्द में शामिल करते हैं।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 25th October, 2018

No. S.O. 69/H.A. 11/1994/S. 55/2018.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section;(3) of Section 55 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby exclude the Gram Panchayat Kuchrana Khurd and Kuchrana Kalan from Alewa Block, District Jind and includes in the Block Uchana, District Jind.

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.